

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100021

प्रमाण संख्या :22022361000012

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- जसवीर सिंह पुत्र- सम्मा सिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- जसवीर सिंह पुत्र सम्मा सिंह, 1.832 ,
विवरण : 744,749,751,752आदि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 26/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।

Mukesh
Kumar Pandey

Digitally signed by Mukesh
Kumar Pandey
Date: 2022.02.01 12:13:49
+05'30'

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100023

प्रमाण संख्या :22022361000021

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- नायब सिंह पुत्र- उजागर सिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- नायब सिंह व पूरन सिंह व अवतार सिंह पुत्रगण विवरण : उजागर सिंह व जसवीर कौर पत्नी राम सिंह , 2,901 , 763,798

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 27/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

क्रम सं०	सम्पत्ति का विवरण	लेखपत्र के पंजीकरण की तिथि	लेखपत्र का प्रकार/ लेखपत्र का मूल्यांकन	पक्षकारों के नाम	लेखपत्र का क्रमांक/वर्ष
1	कृषि	27/06/2019	बन्धक पत्र /438000	विक्रेता-इलाहाबाद बैंक मोहम्मदपुरकलां /क्रेता-नायब सिंह	3474/2019

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँदे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

SHAMEEM
BANODigitally signed by
SHAMEEM BANO
Date: 2022.02.01 13:06:33
+05'30'Mukesh
Kumar
PandeyDigitally signed by
Mukesh Kumar
Pandey
Date: 2022.02.01
13:08:52 +05'30'

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : शमीम बानों कनि०सहा०नि०लिपिक।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : शमीम बानो क०सहा०नि०लिपिक।

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100012

प्रमाण संख्या :22022361000018

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- मुख्तयार सिंह पुत्र- करम सिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- मुख्तयार सिंह पुत्र करम सिंह, 2.112 ,
विवरण : 740,741,732,712,आदि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 25/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

Mukesh Kumar
Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar Pandey
Date: 2022.02.01
12:15:41 +05'30

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100014

प्रमाण संख्या :22022361000017

**भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)**

श्री- राजकुमार पुत्र- राम औतार तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- राजकुमार पुत्र राम औतार , 0.279 , 762 मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 25/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

Mukesh Kumar
Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar Pandey
Date: 2022.02.01
12:16:16 +05'30

**उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी****प्रिंट करें**

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100015

प्रमाण संख्या :22022361000016

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- बगीचा सिंह पुत्र- भजन सिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- बगीचा सिंह पुत्र भजन सिंह , 3.102 ,
विवरण : 764,722,718,765आदि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 25/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्योरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

Mukesh Kumar
Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar Pandey
Date: 2022.02.01 12:11:10
+05'30'

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबंधक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100022

प्रमाण संख्या :22022361000011

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- बलदेव सिंह पुत्र- स्वर्ण सिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह व सुखवेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह व रंजीत सिंह पुत्र जसपाल व जसपाल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, 3.210 , 733,734,735,736आदि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 26/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उप निबंधक।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उप निबंधक।

Mukesh
Kumar Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar Pandey
Date: 2022.02.01
12:20:13 +05:30

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100020

प्रमाण संख्या :22022361000013

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- हरिपाल पुत्र- रामसिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- हरिपाल पुत्र रामसिंह , 0.482 , 742

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 26/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **मुकेश कुमार पाण्डेय प्र० उपनिबन्धक।**

Mukesh

Kumar Pandey

Digitally signed by Mukesh Kumar
Pandey
Date: 2022.02.01 12:08:48 +05'30'

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100027

प्रमाण संख्या :22022361000023

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- राम रहीश पुत्र- चोबर तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- राम रहीश व हरिहर सिंह पुत्रगण चोबर , 0.154 , 760

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 30/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

SHAMEEM BANO Digitally signed by SHAMEEM BANO
Date: 2022.02.01 13:11:21 +05'30'

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : शमीम बानों कनि०सहा०नि०लिपिक।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : शमीम बानो क०सहा०नि०लिपिक।

Mukesh Kumar Pandey

Digitally signed by Mukesh Kumar Pandey
Date: 2022.02.01 13:11:38 +05'30'

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100013

प्रमाण संख्या :22022361000020

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- प्रवेश कुमार पुत्र- रामभरोसे तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- प्रवेश कुमार पुत्र रामभरोसे , 0.130 , 761 मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 25/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

SHAMEEM
BANO

Digitally signed by SHAMEEM
BANO
Date: 2022.02.01 13:03:02
+05'30'

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **शमीम बानों कनि०सहा०नि०लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **शमीम बानो क०सहा०नि०लिपिक।**

Mukesh
Kumar
Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar
Pandey
Date: 2022.02.01
13:04:06 +05'30'

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

प्रिंट करें

कार्यालय उपनिबन्धक मितौली मितौली जनपद लखीमपुर खीरी

आवेदन संख्या :2202236100028

प्रमाण संख्या :22022361000024

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- मलकीतसिंह पुत्र- अग्रेजसिंह तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति ग्राम/मोहल्ला - अब्बासपुर, वार्ड/परगना- औरंगाबाद, कृषि- मलकीतसिंह व जगदीपसिंह पुत्र गण अंग्रेज सिंह का निर्मलसिंह नाबा0उम्र 12 वर्ष /अग्रेजसिंह सं0 माता हरजिन्दरकौर / हरजिन्दरकौर / पत्नी स्व0अग्रेजसिंह /,
विवरण : 2.329 , 764

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 03/05/2018 से दिनांक 30/01/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :01-02-2022 -----

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: शमीम बानों कनि०सहा०नि०लिपिक।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : शमीम बानो क०सहा०नि०लिपिक।

Mukesh
Kumar
Pandey

Digitally signed by
Mukesh Kumar
Pandey
Date: 2022.02.01
13:12:28 +05'30'

SHAMEEM
BANO

Digitally signed by
SHAMEEM BANO
Date: 2022.02.01
13:12:12 +05'30'

प्रिंट करें

उपनिबन्धक मितौली
लखीमपुर खीरी

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 3

सन् 2022

प्रार्थना पत्र संख्या 10

सन् 2022

श्री. हरपाल सिंह पुत्र राम सिंह नि. अठबामझा पा. और भा. अठबामझा
सम्पत्ति के विषय में निवेदित कृत्या व प्रमाणों के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धार किया जाना चाहिए

अतः अठबामझा पा. और भा. अठबामझा, हरपाल सिंह नि. 18.01.2022

अथवा 742
0482

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2010 तक वही संख्या व उत्तरावस्था सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भा. दृष्टि गोचर हुए :-

क्र.सं.	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि०	लेखपत्र का प्रकार व मातियत	प्रमाणों के नाम निष्पादक दावदार	प्राप्त पृविष्टि	लेखपत्र संक्र०	
1	2	3	4	5	6	7	8
	साथ ही प्रमाण पत्र में उपलब्ध आने वाले दस्तावेजों के फलानु उपलब्ध आने वाले भा. को भा. अठबामझा 18.01.2022						

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाणों के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भा. दृष्टि गोचर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया 

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022


उप निबन्धक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भा. की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि वही सम्पत्ति निम्नलिखित लेखपत्र में निम्न रूप में किया गया है तो ऐसे संदी को उजागर करने वाले आलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा समग्र सावधानी से ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(नियम 327)

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 1

सन् 2022

प्रमाण पत्र संख्या 0

सन् 2022

श्री उमर सिंह डा. गुरु सिंह निवा अठ्ठासफा जग को अधीक्षणक, सम्पत्ति के विषय में निवेदित कृत्य व प्रमाण के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उल्लेख किया जाना चाहिए

ग्राम :- अठ्ठासफा जग औरमाला, हरियाणा 151001

जन्म दिनांक 710 व 776
0425 व 0009 ई.

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2010 तक वही संख्या व सतसन्ध सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर हुए :-

क्र.सं.	लेखा व अमूर्त सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि.	तलाश का प्रकार व मालियत	प्रमाणित के नाम निष्पादक दावेदार	सम्पत्ति पृविष्टि	लेखापत्र संक्र०
1	2	3	4	5	6	7
						8
<u>जन्म के परगट सिद्ध 511000/ 18-12-13</u> <u>जन्म 1975</u> <u>जन्म 13362 A.B. मै गुरु गुरु</u>						

यह कि प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाण के आधार पर उक्त सम्पत्ति का प्रमाणित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर नहीं हुए हैं।

तलाश के पत्र और प्रमाण पत्र तैयार किया Me

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबन्धक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि गरी सम्पत्ति निम्नलिखित लेखापत्र में निम्न रूप में किया गया है तो ऐसे लेखों को उजागर करने वाले आगच्छों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्पन्न सामग्री में की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी रूप में उपर्युक्त सतसन्ध सूची योग्य। ऐसे लेखापत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं है।

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या-

5
12

सन् 2022
सन् 2022

श्री बलदेव सिंह पुत्र मधुसूदन सिंह नि. अजमेर फा. 2 नौ औद्योगिक
सम्पत्ति के विषये में निम्नलिखित कृत्य व प्रमाणों के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धारण किया जाना चाहिए

अर्थात्: अजमेर फा. 2 नौ औद्योगिक पर मि. 11 के मि. 11

आय क्र. 733 734 735 736 737
0340 रु. 0364 रु. 0644 रु. 1595 रु. 0482 रु.

532 738 739 740
0304 रु. 0455 रु. 0202 रु. 0454 रु.

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 31-12-2010 तक

संख्या व सत्सन्ध सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर हुए :-

क्र.सं.	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि.	लेखपत्र का प्रकार व मातियत	प्रमाणित करने वाले का नाम निष्पादक दावदार	संख्या पृ.विष्टि	लेखपत्र संक्र.
1	2	3	4	5	6	7

आय क्र. 733 734 735 736 737
0340 रु. 0364 रु. 0644 रु. 1595 रु. 0482 रु.
532 738 739 740
0304 रु. 0455 रु. 0202 रु. 0454 रु.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाणों के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबंधक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबंधक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि यही सम्पत्ति निम्नलिखित लेखपत्र में भिन्न रूप में किया गया है तो ऐसे सौदों का उद्धारण करने वाले आगलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्भव साधनों से ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 6
प्रार्थना पत्र संख्या 13

सन् 2022
सन् 2022

श्री. नायक सिंह पु. उजामा सिंह नि. अजयपुरा को सम्पत्ति के विषये में निवेदित कृत्यों व प्रमाणों के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्घरण किया जाना चाहिए

काम :- अजयपुरा नि. अरेमना, 85 मिलेन 18

काम संख्या 763 798
1-886 ई 1-015 ई

नायक सिंह क. के. न. सिंह
काम संख्या 763 798
अजयपुरा नि. अरेमना
काम संख्या 763 798
अजयपुरा नि. अरेमना

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2010 तक वही संख्या व सत्सन्ध सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर हुए :-

क्रमांक	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	विभाजन दि०	लेखपत्र का प्रकार व मालियत	पदावली के नाम निष्पादक दावदार	संविधि	लेखपत्र संक्र०	
1	2	3	4	5	6	7	8
	काम संख्या 763 नायक सिंह 100000 24-12-12 1910 25 न 1413 न 1413						अ. ब. म. म. क. क.
	काम संख्या 763 नायक सिंह पु. उजामा सिंह 94000 4-12-12 25 1907 न 17261						अ. ब. म. म. क. क.
	काम संख्या 763 नायक सिंह 50000 16-4-13 25 1930 न 1413						अ. ब. म. म. क. क.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाणों के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबन्धक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि वही सम्पत्ति विभाजन लेखपत्र में गिन रूप में किया गया है तो ऐसे स्रोतों को उजागर करने वाले आगलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्भव सावधानी से ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत ता हो गये है किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं है।

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या-

7

सन 2022

प्रार्थना पत्र संख्या

सन 2022

श्री मलकी हर्ष अर्जुन सिंह 110 अठ्ठासठ्ठू जाओ अठ्ठासठ्ठू जाओ

सम्पत्ति को विषय में निवेदित को को व प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धारण किया जाना चाहिए

अठ्ठासठ्ठू जाओ अठ्ठासठ्ठू जाओ

गण्ड 764

4-6588

मलकी हर्ष अर्जुन सिंह 110 अठ्ठासठ्ठू जाओ अठ्ठासठ्ठू जाओ

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 5-2010 तक वही संख्या व तत्सम्बन्ध सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि मोचर हुए :-

क्रमांक	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि०	लेखपत्र का प्रकार व मालियत	प्रकारों के नाम निष्पादक दावदार	शतम पृविष्टि	लेखपत्र सं० क्र०	
1	2	3	4	5	6	7	8
अठ्ठासठ्ठू 764 अर्जुन सिंह 110 अठ्ठासठ्ठू जाओ 225007 8-112 1001 2022 6070 मल B.O.B. मलकी हर्ष							

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाण के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि मोचर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-08-2022

उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि वही सम्पत्ति निम्नलिखित लेखपत्र में भिन्न रूप में किया गया है तो ऐसे स्रोतों को उजागर करने वाले लेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्भव सावधानी से ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या

8
15

सन

2022

प्रार्थना पत्र संख्या

सन

2022

श्री जयपाल ज्ञान कालीपुरी की रजनिमा जा ओई गणेश सम्पत्ति के विषय में निवेदित कृत्य के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धारण किया जाना चाहिए

अतः 31-01-2022 को रजनिमा जा ओई गणेश की सम्पत्ति 15/01/22
जारी की गई 759
01/16/22

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2022 तक वही संख्या व तत्समवस्थ सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि मोचर हुए :-

क्र.सं.	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि.	लेखपत्र का प्रकार व गालियत	प्रमाणित करने वाले का नाम निष्पादक	दावेदार	पृथिवि	लेखपत्र संक्र.0
1	2	3	4	5	6	7	8
आवक 15/01/22 जयपाल ज्ञान कालीपुरी की रजनिमा जा ओई गणेश की सम्पत्ति 15/01/22 जारी की गई 759 01/16/22							

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाण के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि मोचर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया 01/16/22

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबंधक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबंधक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में दर्जित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि वही सम्पत्ति निष्पादित लेखपत्र में भिन्न रूप में किया गया है तो ऐसे स्रोतों को उजागर करने वाले अभिलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्यक् सावधानी से ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धान नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(निम्न 327)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়

2011年 4月 21日

9

VEN 202

प्राप्तः ॥ ५३ ॥

14

२२

श्री गंगा देवी परम प्रसन्न हि आनन्द प्रभु नमो नमो अथवा
सम्पत्ति के विषय में निवाधत कृत्यों व प्रार्थना के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धार किया जाना चाहिए

उत्तर:- अठ्ठावन पाने और शक्कर, एक मिर्च का 1 कप

गाय मोहन 757
0.057

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2010 तक वही संख्या व वस्तुसंग्रह सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि गोचर हुए :-

क्र०सं०	नियन्त्रक के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि०	नियन्त्रक का प्रकार त मातियत	नियन्त्रक के नाम निष्पादक	वावेदार	संस्था पुविष्टि	लेखपत्र सं०क्र०
1	2	3	4	5	6	7	8

साधन हेतु छत्रपति भवन पर उपलब्ध कोले लोड
 रोजाना २ अठ्ठाव्व उपरोक्त कोलेट भाग ५
 कोड भाग धारित्रीय नदी छत्र

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्या एवं प्रभाव के अतिरिक्त स्वतः सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दण्डित योग्य नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया *OK*

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबन्धक
मोहम्मदी खोरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं पारो की तलाश प्राधान्य पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि यही सम्पत्ति निम्नांकित लेखपत्र में भिन्न रूप में किया गया है तो ऐसे स्रोतों की उजागर करना जहाँ अभिलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा सम्भव सावधानी त ही की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(नियम 327)

तलाश प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या

11
18

सन् 2022

सन् 2022

श्री. हरिहर सिंह पुत्र जैवर सिंह श्री 25 जौनिय जगू नौआवासाद
सम्पत्ति के विषय में विवरित कृत्य व प्रमाणों के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्रानुसार सम्पत्ति का उद्धारण किया जाना चाहिए

आप: 310 कानपुर पर नौआवासाद, हर विहीन 18 जौनिय
आप 21 जगू 760
0154 हे

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2010 से दिनांक 1-5-2010 तक वही संख्या व तत्समस्त सूची पत्र में तलाश किया गया। उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एवं भार दृष्टि मोक्षर हुए :-

क्र.सं.	लेखपत्र के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन दि०	लेखपत्र का प्रकार व मातियत	प्रमाणों के नाम निष्पादक दावदार	सतर्प पृथिष्टि	लेखपत्र संक्र०	
1	2	3	4	5	6	7	8
आप हेतु छन्दर आपन पर रहे उप जगू नौआवासाद नौआवासाद उपर्युक्त नौआवासाद नौआवासाद नौआवासाद आप नौआवासाद नौआवासाद							

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कृत्य एवं प्रमाणों के आतिरक्त उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अन्य कोई कृत्य एवं भार दृष्टि मोक्षर नहीं हुए हैं।

तलाश किया गया और प्रमाण पत्र तैयार किया 0154

सत्यापित एवं जांच किया

कार्यालय उप निबन्धक मोहम्मदी खीरी

दिनांक 31-01-2022

उप निबन्धक
मोहम्मदी खीरी

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित लेखों एवं भारों की तलाश प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किया गया है। यदि वही सम्पत्ति निम्नलिखित लेखपत्र में निम्न रूप में किया गया है तो ऐसे लेखों को उजागर करने वाले अभिलेखों को प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. आवश्यक तलाश कार्यालय द्वारा समस्त सावधानी से की गई है। यह भी विभाग प्रमाण पत्र में उल्लिखित फल में विरही भी चुने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे लेखपत्र जो कार्यालय में प्रस्तुत तो हो गये हैं किन्तु उनका निबन्धन नहीं है। इस प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं।